न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 775 सन 2022

अनवान :–

1. सुनिता पुत्री हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा हाल सादुवाला सैकण्ड तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मुख्तारसिह जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
2. बलवीर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
3. अजमेर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
4. कुलवीर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/10/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 520/447 की कुल 19.6690हैक में से 5034/19669 हिस्सा हरीराम वल्द फुलीराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है हरीराम वल्द फुलीराम ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो हरीराम के पुत्र एव मृतक पुत्र मुख्तारसिह के वारिस के पक्ष में करवाई गई थी हरीराम वल्द फुलीराम का देहान्त हो चुका है इसलिये हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि के हकदार हो गये है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के आदेश /निर्णय भी तहसीलदार नोहर के द्वारा जारी किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि जो हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो हरीराम वल्द फुलीराम के पुत्र मृतक पुत्र मुख्तारसिह का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 2 जो हरीराम वल्द फुलीराम का पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का वादीया जो हरीराम वल्द फुलीराम की पुत्री है के पक्ष में त्याग किया हुआ है जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त होने वाली भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की,

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है हरीराम वल्द फुलीराम ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत दिनांक 30.09.2014 को अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एव मृतक पुत्र मुख्तारसिह के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे की गई थी हरीराम वल्द फुलीराम का देहान्त दिनांक 08.01.2016 को हो चुका है इसलिये हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के वाद भूमि अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसके सम्बध में वाद भूमि हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के आदेश किये जा चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार प्राप्त होने वाली भूमि में से उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये हरीराम वल्द फुलीराम के नाम दर्ज भूमि में वादीया 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार वाद भूमि जो हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है को वादीया एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 520/447 की कुल 19.6690हैव में से 5034/19669 हिस्सा हरीराम वल्द फुलीराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है हरीराम वल्द फुलीराम ने अपनी जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो हरीराम के पुत्र एव मृतक पुत्र मुख्तारसिह के वारिस के पक्ष में करवाई गई थी हरीराम वल्द फुलीराम का देहान्त हो चुका है इसलिये हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि के हकदार हो गये है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने हरीराम वल्द फुलीराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज करने के आदेश /निर्णय भी तहसीलदार नोहर के द्वारा जारी किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि जो हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो हरीराम वल्द फुलीराम के पुत्र मृतक पुत्र मुख्तारसिह का पुत्र है एव प्रतिवादी संख्या 2 जो हरीराम वल्द फुलीराम का पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का वादीया जो हरीराम वल्द फुलीराम की पुत्री है के पक्ष में त्याग किया हुआ है जो वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को प्राप्त भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 520/447 की कुल 19.6690हैक में से 5034/19669 हिस्सा हरीराम वल्द फुलीराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज हे हरीराम वल्द फुलीराम ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज वाद भूमि की दिनांक 30.09.2014 को अपनी स्वैच्छा से वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में तहरीर करवाई गई थी हरीराम वल्द फुलीराम का देहान्त दिनांक 08.01.2016 को हो चुका है इसलिये वाद भूमि वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हकदार है जिसके सम्बध में तहसीलदार नोहर ने आदेश भी जारी किया जा चुका है वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि जो हरीराम वल्द फुलीराम के नाम से दर्ज है वह वसीयत के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीया के भाई एव भाई का पुत्र है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी हे वादीया के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है कि उनके हक हिस्सा की भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 520/447 की कुल 19.6690हैक में से 5034/19669 हिस्सा हरीराम वल्द फुलीराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया अकेला 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुनिता पुत्री हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा हाल सादुवाला सैकण्ड तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा।

वादीया

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र मुख्तारसिह जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
2. बलवीर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
3. अजमेर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
4. कुलवीर सिह पुत्र हरीराम जाति बाजीगर निवासी बाजेका तहसील सिरसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 775 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/10/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 520/447 की कुल 19.6690हैक में से 5034/19669 हिस्सा हरीराम वल्द फुलीराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया अकेला 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 दोनो बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner